



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 23 मार्च, 2013 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 23 मार्च, 2013 को अपराह्न 04:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः—

1. डा० हरि शंकर गौड़, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, मा० विधायक	सदस्य
3. श्री संगीत सिंह सोम, मा० विधायक	सदस्य
4. श्री ओम प्रकाश शर्मा, मा० विधान परिषद सदस्य	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	सदस्य
6. डा० केऽसी० सिंह, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
7. श्री मनोज कुमार, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
8. श्री रणबीर सिंह, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
9. श्रीमती भारती शर्मा, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री	सदस्य
10. डा० एस०के० कौशिक, संयुक्त निदेशक, आई०सी०ए०आर० प्रतिधि	सदस्य
11. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक	सचिव

कुलपति/अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों सहित प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ०प्र० शासन का हार्दिक स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति एवं आवश्यताओं तथा विश्वविद्यालय के वर्तमान हालात पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 21.1 माननीय प्रबन्ध परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 10.12.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 21.2 माननीय प्रबन्ध परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 10.12.2012 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न 20वीं बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

01/04/13

Jh
11/4/13

प्रस्ताव संख्या 21.3 माननीय प्रबन्ध परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 02.09.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्ताव संख्या 18अ व 18ब को छोड़ते हुए शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। 18ब पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा गठित की गयी उप समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए डा० एन०एस० राणा के निलम्बन आदेश दिनांक 20 जून, 2012 को अस्वीकृत करने तथा वेतनवृद्धियाँ रोकने के आदेश को मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

(कार्रवाईःकुलसचिव / वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 21.4 माननीय प्रबन्ध परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 02.09.2011 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2011 को सम्पन्न 19वीं बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव सं०-18अ की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय तथा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूरी सूचना तथा अद्यावधिक स्थिति उ०प्र० शासन को प्रेषित करते हुए प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित कराया जाये कि इस प्रकरण में अग्रेतर कोई कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव संख्या-18ब के सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध परिषद की 21वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या-21.10 पर प्रकरण को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(कार्रवाईः—कुलसचिव, वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 21.5 वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11 मार्च, 2013 के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन

(1) माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक का अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः—वित्त नियंत्रक)

०१।०५।१३

१।५।१३

(2) वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि 1 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक के व्यय की विशेष जांच करायी जाये। इसके लिए निम्न प्रकार विशेष जांच समिति का गठन किया गया:-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री पारसनाथ सिंह, अपर निदेशक, | अध्यक्ष |
| कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ। | |
| 2. श्री ए०के० सिंह, अपर निदेशक, | सदस्य |
| कोषागार एवं पेंशन, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। | |
| 3. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ। | सचिव |
- (कार्रवाई:-वित्त नियंत्रक)

(3) दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से विश्वविद्यालय में ई-पेमेन्ट व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(कार्रवाई:-वित्त नियंत्रक)

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति का अवलोकन किया गया।

(कार्रवाई:-वित्त नियंत्रक)

(5) विश्वविद्यालय की वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की बैलेन्स सीट शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने की वित्त समिति की संस्तुति को मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाई:-वित्त नियंत्रक)

(6) असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु वित्त समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

(कार्रवाई:-वित्त नियंत्रक)

(7) आडिट आपत्तियाँ निस्तारित करने के लिए वित्त समिति की संस्तुतियों को मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकार किया गया।

(कार्रवाई:-वित्त नियंत्रक)


01/04/13


1/4/13

(8) मुर्ग भैंस चक्रीय निधि खाता का रख-रखाव पशुधन अनुसंधान केन्द्र द्वारा संचालित करने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाई:- अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

(9) विश्वविद्यालय के वाहन संख्या-यू पी 15 एन 5959(कार) एवं यू पी 28 4860(जीप) को उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर निष्प्रयोज्य घोषित किया गया तथा इनके रथान पर 2 नये वाहन क्रय करने की वित्त समिति की संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया है आधुनिक तकनीक की कम ईधन खपत वाली कार क्रय की जाये। मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा विद्यार्थियों व कर्मचारियों को आकस्मिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उ०प्र० शासन की अनुमति से एक एम्बुलेन्स क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाई:-प्रभारी अधिकारी, पूल)

(10) विश्वविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवा अनुबन्ध के आधार पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

(कार्यवाई:-कुलसचिव)

(11) दीर्घ कालीन परियोजना "All India coordinated Research Project on Field Progeny Testing of Crossbreed Cattle (HF crosses)" पर वित्त समिति की संस्तुति को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही- अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय)

(12) अलीगढ़ में आई०सी०ए०आर० द्वारा संचालित सूत्रकृमि विज्ञान से सम्बन्धित AICRP (Nematology) केन्द्र के सम्बन्ध में वित्त समिति की संस्तुति को मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाई:-निदेशक शोध)


01/04/13


11/04/13

प्रस्ताव संख्या 21.6 डा० डी०के० सचान, प्रशिक्षण सहायक (स्स्य विज्ञान) एवं श्री तेज बहादुर यादव, प्रशिक्षण सहायक (पशुपालन) वेतनमान रु० 1740—3000 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वेतनमान रु० 2200—4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000—13500) प्रदान किये जाने पर पुर्णविचार।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक (कार्मिक), आई०सी०ए०आर० को समस्त तथ्यों एवं संलग्नकों सहित पत्र भेजकर दिशा—निर्देश प्राप्त किये जायें तथा कार्वाई को आगामी बैठक में रखा जाये।

(कार्वाईः—वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 21.7 उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेशों को कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति के माध्यम से शासनादेशों को विश्वविद्यालय में लागू करने पर निहित वित्तीय उपाशय का आंकलन कराने के उपरान्त पुनः मा० प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा जारी सभी शासनादेश विश्वविद्यालय में स्वतः लागू माने जायेंगे तथा इन शासनादेशों को यथासमय विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के प्रस्ताव मा० प्रबन्ध परिषद में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जायें।


(कार्वाईः—वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 21.8 कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे शिक्षकों की मानदेय दरों को रु० 8000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० 12000/- (बारह हजार मात्र) करने के संबंध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्वाईः—वित्त नियंत्रक)


०१/०५/१३


११/५/१३

प्रस्ताव संख्या 21.9 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) से लीज एग्रीमेन्ट सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में अवगत कराया जाये कि उक्त निर्णय से पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय को क्या-क्या लाभ हुए हैं तथा उक्त प्रस्ताव किस प्रकार से विश्वविद्यालय हित में है?

(कार्यवाईः—वित्त नियंत्रक, निदेशक शोध, कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 21.10 डा० एन०एस० राना, प्राध्यापक, सस्य विज्ञान के निलम्बन के सम्बन्ध में मा० विद्वत परिषद, जांच समिति, जांच अधिकारी तथा उच्च स्तरीय जांच समिति की संस्तुतियों पर विचार।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा गठित की गयी उप समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए डा० एन०एस० राणा के निलम्बन आदेश दिनांक 20 जून, 2012 तथा वेतनवृद्धियाँ रोकने के आदेश को मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

(कार्यवाईः—कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 21.11 (अ) विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं०-I/2011, II/2011, III/2011 एवं IV/2011 द्वारा विज्ञापित पदों के विज्ञापन को निरस्त कर शासन द्वारा स्वीकृत पदों को पुनः विज्ञापन द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा को निरस्त करते हुए रिक्त पदों को शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए पुनः विज्ञापित कर तत्काल भरने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाईः—कुलसचिव)

(ब) विद्वत परिषद की 49वीं (विशेष) बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 22 मार्च, 2013 के सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विद्वत परिषद की 49वीं (विशेष) बैठक दिनांक 22 मार्च, 2013 की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाईः—कुलसचिव)

०१।०५।१३

Jhl
।।५।।३

अन्त में सचिव मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों
का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।



01/04/13
(सत्येन्द्र कुमार)

वित्त नियंत्रक / सचिव, मा० प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित



(डा० हरि शंकर गौड़)

कुलपति / अध्यक्ष, मा० प्रबन्ध परिषद